कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक– 561 **मेदिनीनगर, दिनांकः– 26.9.2024**

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन पमण्डल।

विषयः– **मगध रेलवे साईडिंग अंतर्गत पड़ने वाले वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका पत्रांक 1232 दिनांक 16.08.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल 121.29 हे0 (लातेहार वन प्रमण्डल–104.28 हे0 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल–17.01 हे0) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव की जाँच की गयी तथा दिनांक 23.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कतिपय त्रुटियाँ / कमियाँ पायी गयी जो निम्नवत है :–

1. प्रस्ताव के साथ संलग्न ऑनलाईन पार्ट– II की कंडिका 11 (i) में निम्नवत प्रविष्टियाँ है :–

(a) **Details of violation (s) :-** Forest land was broken prior approval and embankme

(b) **Period of work done (year) :-** 2019

(c) **Area of forest land involved in violation (in ha.) :-** 31.70

प्रस्ताव के साथ संलग्न Site inspection Report of Divisional Forest Officer, Latehar Forest Division में "Area already worked upon 31.68 ha in Notified forest during the year 2019, 2020 & 2023" तथा "During site inspection it has been found that there is also violation on GMJJ land (Deemed Forest) consisting an area appeximetely 9.62 ha" अंकित है।

11. (i) (a) में प्रविष्टियाँ अधूरी है।

11. (i) (b) Period of work done (Year) में भिन्नता है।

11. (i) (c) में Area of forest land involved in violation में भिन्नता है।

11(i) में की गयी प्रविष्टियों. में स्थिति स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 830 दिनांक 19.07.2021 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि विवरणी जिसे संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है, की हस्ताक्षरित प्रति Additional document के रूप में ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है। इसे अपलोड किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उल्लेखित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कर संशोधित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। समर्पित ऑफलाईन एवं ऑनलाईन प्रस्ताव (मूल रूप सात प्रतियों में) वापस की जा रही है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Sumel 26/09/2024

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

26/9/24